Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited
Lucknow

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
प्रधान कार्यालय, 4–ए, गोखले मार्ग,
लखनऊ।

E-mail : commvvnl@gmail.com, Phone No. 0522-2205065

पत्रांक: –मु0अभि0(वा0)/म0वि0वि0नि0लि0/फ्रेन्चाइजी दिनांक: .01.2011

कार्यालय ज्ञापन

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ में कलेक्शन बेस्ड फ्रेन्चाइजी व्यवस्था शासनादेश सं0 1780/24–1/2006–1690–पी–1–06 दिनांक 18.05.2006 एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों मे निहित प्रविधानों के अन्तर्गत व्यवस्थित की जा रही है। इन आदेशों में व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुये संशोधनो को समायोजित कर एतद्वारा निम्नवत् आदेशित किया जाता है :–

1. शासनादेश में निहित प्रविधानुसार फ्रेन्चाइजी के पूर्व बकाये के विरूद्ध वसूल की गयी धनराशि पर देय प्रोत्साहन धनराशि 7 प्रतिशत की दर को समाप्त किया जाता है ।
2. शासनादेश में निहित प्रविधानुसार फ्रेन्चाइजी के वर्तमान राजस्व निर्धारण के सापेक्ष 60 प्रतिशत की वसूली पर (बिन्दु सं0–1 में उल्लेखित प्रोत्साहन धनराशि से अलग) कमीशन देय हो जाता है, को समाप्त करते हुये फ्रेनचाइजी द्वारा माह में कुल वसूल की धनराशि के मासिक राजस्व निर्धारण के सापेक्ष मानते हुये न्यूनतम 60 प्रतिशत की वसूली पर कमीशन देय होगा ।
3. फ्रेन्चाइजी की मासिक राजस्व निर्धारण के विरूद्ध 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक राजस्व वसूली करने पर देय कमीशन की दर 5 प्रतिशत से प्रारम्भ कर अधिकतम धनराशि 10 प्रतिशत तक समेकित/तदानुसार इनकिमेन्टल इन्सेनटिव स्लेब (कुल राजस्व वसूली मानते हुये) निम्नवत् कमीशन की गड़ना कॉलम 2 के अनुसार की जायेगी ।

वसूली प्रतिशत	देय प्रतिशत
1	2
60% पर	60% धनराशि पर 5%
60% से अधिक तथा 70% तक	60% धनराशि पर 5%+60% से अधिक धनराशि पर 30%
70% से अधिक तथा 80% तक	70% धनराशि पर उपरोक्तानुसार देय कमीशन+70% से अधिक धनराशि पर 20%
80% से अधिक तथा 90% तक	80% धनराशि पर उपरोक्तानुसार देय कमीशन+80% से अधिक धनराशि पर 10%
90% से अधिक तथा 100% तक	कुल वसूल की गयी राशि का 10%
100% से ऊपर	कुल वसूल की गयी राशि का 10%

4. फैन्चाइजी को राजस्व वसूली के आधार पर प्राप्त इन्सेंटिव के अतिरिक्त नये कनेक्शन देने बत्ती पंखा से वाणिज्यिक विधा में परिवर्तित कराने, नलकूप संयोजन के भार बढ़ाने विद्युत चोरी पकड़वाने तथा अनुबन्ध पूर्ण बकायेदारों के संयोजन काटने, बिल जमा कराने एवं जोड़ने पर निम्नवत् इन्सेटिव देय होगा।

गतिविधि	प्रस्तावित देय इन्सेंटिव
नये संयोजन (अवर अभियन्ता/उपखण्ड कार्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन को जोड़ते हुए निर्गत करने पर (अ) बत्ती पंखा (ब) 5 अ0श0 से ऊपर के औद्योगिक संयोजन (स) नलकूप संयोजन के भार बढ़ाने पर	150/– प्रति संयोजन 500/– प्रति संयोजन 100 /– प्रति अ0श0
बंत्ती पंखा संयोजन जिनका उपयोग वाणिज्य विधा में किया जा रहा है, वाणिज्यक विधा में परिवर्तन कराने पर	60/– प्रति किलोवाट
विद्युत चोरी पकड़वाने एवं विद्युत चोरी पर डाला गया राजस्व निर्धारण जमा कराने पर	राजस्व निर्धारण जमा कराने पर जमा धनराशि का 10 प्रतिशत
फैन्चाइजी के अनुबन्ध पूर्व बकायेदारों के संयोजन काटने, बिल जमा कराने एवं जोड़ने पर बिन्दु 10 अनुसार	150 रूपये प्रति संयोजन बकायेदारों से भुगतान प्राप्त होने पर

5. अनुबन्ध की अवधि में विद्युत दरों के बढ़ने अथवा नवीन संयोजनों के अवमुक्त होने के फलस्वरूप स्थायी रूप से बढ़े राजस्व निर्धारण की मासिक राजस्व निर्धारण में समाहित करते हुये कुल मासिक राजस्व निर्धारित किया जायेगा तथा इन्सेंटिव की गणना तद्नुसारकी जायेगी। मासिक राजस्व निर्धारण में बढ़ोत्तरी पर फ्रेन्चाइजी को कोई अतिरिक्त कमीशन देय नही होगा ।
6. कारपोरेशन द्वारा एक मुश्त समाधान योजना लागू करने की अवधि में फ्रेन्चाइजी को उपरोक्तानुसार कमीशन न दे कर उस अवधि में कुल राजस्व वसूली पर मात्र 5 प्रतिशत की दर से कमीशन देय होगा। यह व्यवस्था मात्र समाधान योजना अवधि में ही प्रभावी रहेगी।
7. फ्रेन्चाइजी का देय कमीशन की गणना वित्तीय वर्ष व क्रमिक रूप से प्रगामी माह के अन्त तक की गयी वसूली पर प्रगामी योग के आधार पर कर (कारपोरेशन द्वारा एक मुश्त समाधान योजना लागू करने की अवधि को छोड़कर), कमीशन का भुगतान किया जायेगा। मानदेय कुल राजस्व वसूली का 10 प्रतिशत से अधिक नही होगा ।
8. जिन कार्यरत फ्रेन्चाइजियों की प्रगति संतोषजनक है वह पूर्व अनुबन्ध अनुसार कार्य करते रहेगें। अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत नवीन अनुबन्ध कराये जाये । नये चयनित फ्रेन्चाइजियों से नई व्यवस्था के अन्तर्गत अनुबन्ध कराये जाये ।
9. फ्रेन्चाइजी द्वारा अवमुक्त किये गये शत–प्रतिशत कनेक्शनों के लेजराईजेशन की जिम्मेदारी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी की होगी ।
10. फ्रेन्चाइजी प्रगति की समीक्षा खण्ड/मण्डल/क्षेत्र/डिस्काम स्तर पर निरन्तर अन्तराल पर की जायेगी।
11. फ्रेन्चाइजी को देय कमीशन का भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जाये ।
12. वर्तमान शासनादेश सं0 1780/24–1/2006–1690–पी–1/06 दिनांक 18.05.2006 की शेष अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेगीं ।
13. यह कार्यालय ज्ञाप तत्काल प्रभाव से लागू होगा परन्तु पूर्व में किये गये अनुबन्धों पर पूर्व का कार्यालय ज्ञाप ही लागू रहेगा ।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक:2005 –मु0अभि0(वा0)/म0वि0वि0नि0लि0/फ्रेन्चाइजी/तद्दिनांकः 28 .01.2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (तक0)/निदेशक (वित्त), म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र), म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ ।
3. समस्त अधीक्षण अभिन्ता, वि0वि0मं0/वि0न0वि0म0, म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता अन्तर्गत डिस्काम कार्यालय, लखनऊ ।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0/वि0न0वि0ख0, म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ ।

28/01/11

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक